न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, मऊ

उपस्थित : बाकर शमीम रिज़वी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड़ नं. UP6398

UPMA010013102021

सत्र वाद संख्याः–146/2021

*****

उत्तर प्रदेश राज्य

------ **अभियोगी**

बनाम

1. **हाजी मुख्तार** पुत्र स्व० हनीफ
2. **नफीस** पुत्र स्व० हनीफ
3. **मुज़म्मिल** पुत्र हाजी मुख्तार
4. **शाहिद** पुत्र हाजी मुख्तार
5. **दानिश रज़ा** पुत्र नफीस
6. **हासिम रज़ा** पुत्र नफीस
7. **आमिर हमज़ा** पुत्र खुर्शीद
8. **अहमद रज़ा** पुत्र नफीस

समस्त साकिनान– सरवां विचलापुरा, थाना–सरायलखंसी, जनपद–मऊ।

------ **अभियुक्तगण**

व,

UPMA010026722021

सत्र वाद संख्याः–341/2021

*****

उत्तर प्रदेश राज्य

------ **अभियोगी**

बनाम

मुदस्सीर पुत्र ज़ावेद

साकिन–सरवां विचलापुरा, थाना–सरायलखंसी, जनपद–मऊ।

------ **अभियुक्त**

मुकदमा अपराध सं.– 519/2020
अन्तर्गत धारा–307, 323, 34 भा.दं.सं.
थाना– सरायलखंसी, जनपद–मऊ।

Digitally signed by BAQUAR SHAMIM RIZVI
Date: 2026.06.19 07:26:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ की पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 519/2020 अंतर्गत धारा 34, 323, 307 भा.दं.सं. विरुद्ध अभियुक्तगण हाजी मुख्तार, नफीस, मुज़म्मिल, शाहिद, दानिश रज़ा, हाशिम रज़ा, मुदस्सीर, आमिर हमज़ा व अहमद रज़ा आरोप–पत्र प्रेषित किया गया जिसे विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया तथा जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रकरण में दौरान परीक्षण अभियुक्त मुदस्सीर के उपस्थित न होने के कारण उससे संबंधित पत्रावली पृथक कर सत्र वाद सं. 341/2021 के रूप में पंजीकृत की गयी। चूंकि दोनों सत्र वाद एक ही अपराध से संबंधित हैं अतः दोनों सत्र वाद का निस्तारण एक ही निर्णय के आधार पर किया जा रहा है।

मामले का विवरण

प्रस्तुत प्रकरण का तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नुरुल हसन पुत्र यासीन निवासी बिचलापुरा आदेडीह, थाना– सरायलखंसी, जनपद मऊ की ओर से थानाध्यक्ष सरायलखंसी, जनपद मऊ में लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** इस आशय की दी गयी कि प्रार्थी आज दिनांक 30.05.2020 को समय लगभग 05.00 बजे शाम को ग्राम सरवां बीचलापुरा में सड़क के किनारे मुजीब हसन पुत्र वहीदुल्लाह के घर के सामने खड़ा होकर वाज़िद अली पुत्र कमरुद्दीन व रफीउल्लाह पुत्र स्व० अकबर अली निवासी सरवां (बिचलापुरा) से कुछ बातचीत कर रहा था कि इसी बीच उसी गांव के हाजी मुख्तार व नफीस पुत्रगण स्व० हनीफ के ललकारने पर मुल्जिमान शाहिद रज़ा पुत्र हाजी मुख्तार एवं दानिश रज़ा व आसिम रज़ा पुत्रगण नफीस ने प्रार्थी को लाठी–डण्डा व धारदार हथियार एवं पंच से मारने लगे। प्रार्थी जमीन पर गिर गया। प्रार्थी को आसिम रज़ा ने लाठी से दाहिने हाथ में मार दिया जिससे दाहिना हाथ टूट गया। दानिश ने पंच से सिर में मार दिया जिससे गंभीर चोटें आयी और शरीर पर कई जगह चोटें आयी हैं। उसी परिवार के मुदस्सीर पुत्र ज़ावेद हाथ में कट्टा लेकर प्रार्थी के ऊपर फायर किया लेकिन गोली प्रार्थी के कनपटी से निकल गयी तथा आमिर हमज़ा पुत्र खुर्शीद, अहमद रज़ा पुत्र नफीस हाथ में पिस्टल लेकर फायर करने लगे जिससे मौके पर भय और आतंक का माहौल हो गया। घटना को तमाम लोगों ने देखा। घटना को देखकर एकलाख पुत्र स्व० हफीजुल्लाह ने पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर डायल करके बुलाया। इसके बाद मामला शान्त हुआ।

वादी नुरुल हसन के द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर (प्रदर्श क–1) के आधार पर दिनांक 31.05.2020 को समय 16:41 बजे थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ में अभियुक्तगण हाजी मुख्तार, नफीस, मुज़म्मिल शाहिद, दानिश रज़ा, आसिम रज़ा, मुदस्सीर, आमिर हमज़ा व अहमद रज़ा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट **(प्रदर्श क–4)** मुकदमा अपराध संख्या 519/2020 अंतर्गत धारा 34, 323, 307 भा.दं.सं. पंजीकृत की गयी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के पश्चात मामले की विवेचना निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ द्वारा प्रारम्भ की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया जाने

के दौरान विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–3** तैयार किया गया। दौरान विवेचना निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय का स्थानांतरण हो जाने के पश्चात् अग्रिम विवेचना उप–निरीक्षक अशोक कुमार यादव को सुपूर्द की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक अशोक कुमार यादव द्वारा तमामी विवेचना किये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण हाजी मुख्तार, नफीस, मुज़म्मिल, शाहिद, दानिश रज़ा, हाशिम रज़ा, मुदस्सीर, आमिर हमज़ा व अहमद रज़ा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र **प्रदर्श क–6** अंतर्गत धारा 34, 323, 307 भा.दं.सं. प्रेषित किया गया। अवर न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर दिनांक 04.12.2020 को प्रसंज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण के प्रकरण से सम्बंधित पत्रावली दिनांक 31.03.2021 को परीक्षण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी।

सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2021 को अभियुक्तगण हाजी मुख्तार, नफीस, मुज़म्मिल, शाहिद, दानिश रज़ा, हासिम रज़ा, आमिर हमज़ा व अहमद रज़ा तथा दिनांक 05.01.2022 को अभियुक्त मुदस्सीर के विरूद्ध धारा 307/149, 323/149 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य

अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गये आरोपों को सिद्ध करने हेतु अभियोजन की ओर से **मौखिक साक्ष्य** के रूप में निम्नलिखित साक्षी प्रस्तुत किये गयेः–

(i) पी.डब्लू. 1 — नुरुल हसन — वादी मुकदमा/चोटहिल साक्षी।

(ii) पी.डब्लू. 2 — मुजीब अशरफ – तथ्यगत साक्षी।

(iii) पी.डब्लू. 3 — रफीउल्लाह – तथ्यगत साक्षी।

(iv) पी.डब्लू. 4 — हारुन रशीद — तथ्यगत साक्षी।

(v) पी.डब्लू. 5 — डा० मनोज कुमार पाण्डेय — इनके द्वारा चोटहिल की आघात आख्या तैयार की गयी।

(vi) पी.डब्लू. 6 — वाजिद अली — तथ्यगत साक्षी।

(vii) पी.डब्लू. 7 — निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद — इनके द्वारा मामले की विवेचना आरंभ की गयी तथा द्वितीयक साक्षी के रूप में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी.डी. सिद्ध किया गया है।

(viii) पी.डब्लू. 8 — उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव– इनके द्वारा मामले की विवेचना पूर्ण की गयी।

(ix) पी.डब्लू. 9 — योगेन्द्र सिंह — तथ्यगत साक्षी।

(x) पी.डब्लू. 10 — अरुण कुमार गुप्ता — तथ्यगत साक्षी।

अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त **दस्तावेजी साक्ष्य** के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को सिद्ध कराया गया हैः–

(i) प्रदर्श क–1–मूल तहरीर– इसे वादी मुकदमा पी.डब्लू. 1 नुरुल हसन द्वारा सिद्ध किया गया है।

(ii) प्रदर्श क–2– आघात आख्या– इसे पी.डब्लू. 5 डा० मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा सिद्ध किया गया है।

(iii) प्रदर्श क–3– नक्शा नजरी घटनास्थल – इसे पी.डब्लू. 7 निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सिद्ध किया गया है।

(iv) प्रदर्श क–4–चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट– इसे पी.डब्लू. 7 निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सिद्ध किया गया है।

(v) प्रदर्श क–5– कायमी जी.डी.–इसे पी.डब्लू. 7 निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सिद्ध किया गया है।

(vi) प्रदर्श क–6–आरोप पत्र– इसे पी.डब्लू. 8 उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव द्वारा सिद्ध किया गया है।।

अभियोजन की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त वस्तु साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष <u>कोई भी वस्तु साक्ष्य प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं किया गया है</u>।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त किये जाने के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2025 व दिनांक 07.01.2026 को अभियुक्तगण का बयान/अतिरिक्त बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने घटना में अपनी संलिप्तता को गलत बताते हुए तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए साक्षीगण द्वारा झूठा बयान देने और गांव की पार्टीबाजी व राजनीतिक विद्वेष में रंजिशन गलत मुकदमें में फंसाने तथा गलत रिपोर्ट तैयार कर गलत तथ्यों के आधार पर आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने का कथन किया है।

बचाव पक्ष द्वारा अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

<u>उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

इस न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) **श्री नन्दलाल भारती** तथा बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण **श्री अजय यति व श्री रामकिशुन गौड़** के तर्कों को सुना गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) **श्री नन्दलाल भारती** द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। प्रस्तुत प्रकरण प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है एवं अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये सभी तथ्यगत साक्षीगण ने घटना की तिथि एवं समय, घटनास्थल, घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण, घटना का हेतुक एवं घटना में प्रयुक्त हथियार को संदेह से परे सिद्ध किया है। पी.डब्लू. 1 नुरुल हसन स्वयं चोटहिल साक्षी हैं। इस प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। इस साक्षी के बयानों में समरूपता है व कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है तथा अन्य तथ्यगत साक्षीगण के बयानों से भी समर्थित

है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बयान का समर्थन अन्य औपचारिक साक्षीगण के बयानों से भी होता है। साक्षी पी.डब्लू. 5 डा० मनोज कुमार पाण्डेय, जिनके द्वारा चोटहिल वादी नुरुल हसन की आघात आख्या को सिद्ध किया गया है, के बयानों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षदर्शी/चोटहिल साक्षी ने जिस प्रकार से अभियुक्तगण द्वारा उसकी हत्या के प्रयास किये जाने का कथन किया है वह बिल्कुल विश्वसनीय है। प्रस्तुत प्रकरण में मौखिक साक्ष्यों का पूर्णरूप से समर्थन दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा होता है और यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी है। इन परिस्थितियों में जहां अभियोजन ने संदेह से परे घटना में अभियुक्तगण की भूमिका सिद्ध कर दी है वहां अभियुक्तगण दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने योग्य हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण **श्री अजय यति व श्री रामकिशुन गौड़** द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह कथन किया गया कि अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने कथानक को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी सोच–समझकर राय मश्वरे के पश्चात् फर्जी कथानक के आधार पर पंजीकृत करायी गयी है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण का वादी मुकदमा के परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण द्वारा अपने बयान में इस कथन को स्वीकार भी किया गया है। अभियोजन द्वारा घटना का कोई हेतुक भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हितबद्ध साक्षीगण हैं तथा इससे इस संभावना को भी बल मिलता है कि वादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को फर्जी तौर पर फंसाया गया है। मूल तहरीर के साथ–साथ साक्षीगण के बयानों में अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त हथियारों के संबंध में भी तात्विक विरोधाभास हैं। तहरीर में अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डण्डा, धारदार हथियार, पंच, कट्टा व पिस्टल का प्रयोग किया जाना बताया गया है परंतु साक्ष्य के दौरान अभियोजन साक्षीगण द्वारा गड़ास जैसे हथियार का भी अभियुक्तगण द्वारा प्रयोग किया जाना बताया गया है। इसके अतिरिक्त कौन सा अभियुक्त कौन सा हथियार लिए हुए था, इस बिंदु पर भी तहरीर के साथ–साथ प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयानों में तात्विक विरोधाभास व विसंगतियाँ हैं। दौरान विवेचना किसी भी कथित हथियार अथवा कट्टा व पिस्टल की बरामदगी नहीं की गयी न घटनास्थल पर कोई खोखा–कारतूस ही बरामद किया गया न ही घटनास्थल पर फायरिंग का कोई साक्ष्य ही प्राप्त हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी के बयान व अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयानों में इस विषय पर भी तात्विक विरोधाभास है कि घटनास्थल पर कुल कितना फायर हुआ था। वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में कुल 10–15 राउंड फायर होने का कथन किया गया है परंतु उसे फायरआर्म की कोई भी चोट न आना वादी की संपूर्ण कहानी हो संदिग्ध बना देता है। इसी प्रकार वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसके शरीर पर कई लाठी की चोटें आयी थी परंतु आघात आख्या वादी के इस कथन का समर्थन नहीं करता है। इसी क्रम में वादी द्वारा स्वयं का हाथ टूटने का कथन भी चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित नहीं है। समग्र रूप से किसी भी साक्षीगण का बयान मेडिकल साक्ष्य से समर्थित नहीं है। सभी साक्षीगण के साक्ष्य में मुख्य बिंदुओं पर विरोधाभास है जो उनकी विश्वसनीयता को संदिग्ध व अभियोजन कथानक

को गलत साबित करता है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में यह कथन किया है कि चूंकि अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से पर सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है, अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

इस न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया गया।

इस सत्र परीक्षण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है किः–

1. *"क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा नुरुल हसन को दिनांक 30.05.2020 समय 05.30 बजे शाम को कट्टा व पिस्टल से फायर कर तथा लाठी–डण्डा, पंच, गंडासा व धारदार हथियार से प्रहार कर उसकी हत्या का प्रयास किये जाने का अपराध कारित किया गया है ? "*

2. *"क्या अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ? "*

निष्कर्ष

वर्तमान सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण हाजी मुख्तार, नफीस, मुज़म्मिल, शाहिद, दानिश रज़ा, हासिम रज़ा, आमिर हमज़ा, अहमद रज़ा व मुदस्सीर के विरूद्ध धारा 307/149 व 323/149 भा.दं.सं. का आरोप विरचित किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध करना है किः–

(i) दिनांक 30.05.2020 को समय 17.00 बजे दिंन बहद स्थान ग्राम सरवा बिचलापुरा, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ में अभियुक्तगण किसी विवाद को लेकर लाठी डण्डा, धारदार हथियार एवं कट्टा से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा नुरुल हसन की हत्या करने के एक सामान्य उद्देश्य से साशय ज्ञानपूर्वक उसको जान से मारने की नियत से मारपीट कर उसके सिर व शरीर के अन्य भागों में चोटें पहुंचाई तथा कट्टा से फायर किया, यदि कट्टे से फायर एवं शरीर पर आयी चोटों से वादी मुकदमा नुरुल हसन की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते।

(ii) अभियुक्तगण द्वारा उपर्युक्त तिथि, समय व स्थान पर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में साशय ज्ञानपूर्वक वादी मुकदमा नुरुल हसन को लाठी–डण्डा व धारदार हथियार से प्रहार कर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

प्रस्तुत प्रकरण की घटना प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है। अभियुक्तगण पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल 10 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है जिसमें से पी.डब्लू. 1 वादी नुरुह हसन स्वयं चोटहिल साक्षी है तथा पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ, पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह, पी.डब्लू. 4 हारुन रशीद, पी.डब्लू. 6 वाजिद अली, पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह व पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हैं। शेष साक्षी पी.डब्लू. 5 डा० मनोज कुमार पाण्डेय,

पी.डब्लू. 7 निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद व पी.डब्लू. 8 उप–निरीक्षक अशोक कुमार यादव औपचारिक साक्षीगण हैं।

मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श क–1 लगायत प्रदर्श क–6 प्रस्तुत किये गये हैं।

विधि निर्णय **नासिर सिकन्दर शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 एस. ए. आर. (क्रिमिनल) 489** में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि अपराध विधि का मूलभूत सिद्वांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करना होता है, जबकि बचाव पक्ष को अपने मामले में सम्भाव्यता मात्र दर्शित करना होता है और जो बचाव लिया जाता है, उसके सम्बंध में अभिलेख पर कुछ तथ्य होने चाहिये, जो अभियोजन साक्षीगण को दिये गये सुझाव के रुप में भी हो सकता है।

विधि निर्णय **दौलत राम बनाम पंजाब राय 1997 (34) ए.सी.सी. पृष्ठ 839** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला अपने साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे सिद्ध करना होगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की कमियों का लाभ नहीं ले सकता है।

विधि निर्णय **धनपाल बनाम राज्य 2009 (69) ए.सी.सी. पृष्ठ 697** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करे तथा यह न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें, जैसा अभियोजन कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाय। साथ ही किसी प्रकार के अभिवृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती। उक्त विधिक दृष्टांतों के आलोक में प्रस्तुत मामले पर विचार किया जाना है।

आपराधिक वादों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के **कृष्णामोची एवं अन्य बनाम स्टेट आफ बिहार 2002 सुप्रीम कोर्ट (क्रि.) पेज 1220** एवं **अम्बिका प्रसाद एवं अन्य बनाम स्टेट आप दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2000 एस.सी.सी. (क्रि.) पेज 522** के वादों में इस आशय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां न्यायालय का यह कर्तव्य है कि कोई निर्दोष व्यक्ति दण्डित न हो, वहीं यह भी कर्तव्य है कि कोई दोषी व्यक्ति बिना दण्डित हुए न बच सके, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना समीचीन होगा।

जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे आरोपों को साबित करने का संबंध है, **साबित** शब्द को धारा–3 साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत हैः–

> ***"साबित"*** *– कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधि सम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है।*

प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयानों का विश्लेषण औपचारिक साक्षीगण के बयानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक है परंतु साक्ष्यों का विश्लेषण किये जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि बचाव पक्ष के विद्वान

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये उन मूलभूत तर्कों पर विचार किया जाए जो अभियोजन कथानक के आधार को प्रभावित करते हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पहला मूलभूत तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 30.05.2020 की शाम 5 बजे की बतायी गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन दिनांक 31.05.2020 की शाम 04.41 बजे पंजीकृत करायी गयी। स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के लगभग 24 घंटों के बाद दर्ज करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पंजीकृत कराये जाने के कारण घटना की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है तथा इस कारण सोच–समझकर राय–मश्वरे के पश्चात् फर्जी कहानी गढकर अभियोग पंजीकृत कराये जाने की संभावना को बल मिलता है।

बचाव पक्ष के उपर्युक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

मूल तहरीर प्रदर्श क–1 के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि तहरीर दिनांक 30.05.2020 को समय शाम करीब 5 बजे की घटी घटना के बाबत दिनांक 30.05.2020 की ही तिथि पर लिखी गयी है जिसपर वादी मुकदमा नुरुल हसन का अंगूठा लगा हुआ है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.05.2020 को समय 04.41 बजे शाम को पंजीकृत करायी गयी है। स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने में लगभग 24 घंटे का विलंब है। इस विलंब के बाबत उल्लेख कायमी जी.डी. प्रदर्श क–5 में भी किया गया है। कायमी जी.डी. सं. 47 दिनांकित 31.05.2020 समय 16.41 थाना–सरायलखंसी, जनपद मऊ में यह उल्लेख किया गया है कि जब वादी से प्रार्थना पत्र पर अंकित दिनांक के संबंध में पूछा गया तो उसने यह बताया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2020 को ही लिख दिया गया था परंतु आज दिनांक 31.05.2020 को सदर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद प्रार्थना पत्र लेकर आया हूं। पी.डब्लू. 1 के रूप में साक्ष्य देते हुए चोटहिल वादी नुरुल हसन ने अपनी मुख्य्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना की तहरीर मैंने बोल–बोलकर अपने भाई से लिखवाया था तथा हाथ में दर्द होने के कारण हस्ताक्षर नहीं कर पाया बल्कि निशानी अंगूठा लगाया था। इसी प्रार्थना पत्र पर मुल्जिमों के विरुद्ध रपट दर्ज हुई थी। मुझे घर के लोग सरकारी अस्पताल लेकर आये। दौरान प्रति परीक्षा पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने यह कथन किया है कि मेरे बायें हाथ में चोट लगी थी, मैं दाहिने हाथ से लिखता हूं। मैंने ही रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट वाली दरखास्त मैंने बोल–बोलकर लिखाया था। इस साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि मैं बी.ए. पास हूं। तहरीर मेरे बोलने पर मेरा भाई एक लड़के को लेकर आया था उससे लिखवाया था। उसका नाम नहीं बता सकता हूं। मेरे दोनों हाथ में चोट लगी हुई थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। मेरा दाहिना हाथ सूज गया था। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि हम लोग उनको टैम्पू पर लादकर सदर अस्पताल मऊ लाये थे और भर्ती कराये थे, अस्पताल में उनके घर के और लोग आ गये थे। मामले के विवेचक पी.डब्लू. 7 निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है

कि बयान लेखक दिनेश कुमार सिंह ने मुझे यह बयान दिया था कि प्रार्थना पत्र पर अंकित दिनांक के संबंध में पूछने पर बताया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2020 को ही लिख दिया गया था परंतु दिनांक 31.05.2020 को सदर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद प्रार्थना पत्र लेकर आया था।

उपर्युक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि तहरीर स्वयं वादी मुकदमा नुरुल हसन द्वारा नहीं लिखी गयी थी। मूल तहरीर प्रदर्श क–1 में तहरीर लेखक का नाम अंकित नहीं किया गया है। जहां तक तहरीर लेखक का संबंध में, इस संदर्भ में वादी मुकदमा नुरुल हसन द्वारा दो अलग–अलग विरोधाभासी बयान दिये गये हैं। वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि तहरीर मैंने बोल–बोलकर अपने भाई से लिखवाया था जबकि इसके ठीक विपरीत विरोधाभासी कथन करते हुए अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि तहरीर मेरे बोलने पर मेरा भाई एक लड़के को लेकर आया था उससे लिखवाया था, उसका नाम नहीं बता सकता हूं। इस प्रकार वास्तव में तहरीर किसके द्वारा लिखी गयी थी, इस संदर्भ में वादी द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है तथा वादी का दो अलग–अलग विपरीत कथन किया जाना तहरीर के लिखे जाने के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है। इसी प्रकार वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि हाथ में दर्द होने के कारण हस्ताक्षर नहीं कर पाया बल्कि निशानी अंगूठा लगाया था जबकि दौरान प्रति परीक्षा पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि मेरे बायें हाथ में चोट लगी थी, मैं दाहिने हाथ से लिखता हूं। वादी ने स्वयं को पढ़ा लिखा होना तथा बी.ए. पास होना कहा है। ऐसी स्थिति में वादी का दाहिने हाथ से लिखना व बायें हाथ में चोट लगना इस तथ्य का समर्थन नहीं करता है कि चोट लगने के कारण वह तहरीर नहीं लिख सका और अपना हस्ताक्षर भी नहीं बना सका। वादी द्वारा ही अपनी प्रति परीक्षा में बाद में अपने कथनों को सुधारते हुए यह कथन किया गया है कि मेरे दोनों हाथ में चोट लगी हुई थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, मेरा दाहिना हाथ सूज गया था। कायमी जी.डी. में यह उल्लेख किया गया है कि वादी ने यह अवगत कराया कि तहरीर दिनांक 30.05.2020 को लिखी गयी थी परंतु अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दिनांक 31.05.2020 को वादी थाने आकर तहरीर दिया था। इसके समर्थन में अभियोजन द्वारा कोई ऐसा प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादी जिला चिकित्सालय से कब डिस्चार्ज हुआ था। चोटहिल वादी की आघात आख्या प्रदर्श क–2 से स्पष्ट है कि यह आख्या दिनांक 30.05.2020 को समय 06.15 बजे शाम तो तैयार की गयी है। मूल तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा नुरुल हसन ने अभियुक्त मुदस्सीर द्वारा कट्टा से तथा अभियुक्तगण आमिर हमज़ा व अहमद रज़ा द्वारा पिस्टल से स्वयं के ऊपर फायर किये जाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में जब वादी मुकदमा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसके द्वारा तहरीर में कट्टा व पिस्टल से फायर होने का कथन किया गया है तो उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह घटना के 24 घंटे बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद थाने पर जाकर तहरीर प्रस्तुत कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाता। वादी मुकदमा नुरुल हसन द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि तहरीर घटना वाले ही दिन 30.05.2020 को लिखी गयी थी और यह भी स्वीकार किया गया है कि तहरीर उसने स्वयं न लिखकर किसी अन्य व्यक्ति से लिखवायी थी तथा

उपर्युक्त बयान से यह भी स्पष्ट है कि अस्पताल में वादी के घर वाले मौजूद थे, ऐसी स्थिति में जब घटना वाले दिनांक को ही तहरीर किसी अन्य व्यक्ति से लिखवा दी गयी थी तो निश्चित रूप से कट्टा व पिस्टल से फायर होने की गंभीर घटना के बाबत उसे तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु स्वयं के अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। वादी तहरीर पर अपना अंगूठा निशानी लगाकर तहरीर लेखक को थाने भेजकर भी अभियोग त्वरित गति से पंजीकृत करा सकता था। एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वह इतना तो अवश्य ज्ञान रखता है कि जब किसी स्थान पर कट्टा व गोली से कई फायर किये गये हों तो विलंब से पुलिस को सूचना देने से घटना से संबंधित साक्ष्य नष्ट व विलुप्त हो सकते हैं तथा उसे यह भी ज्ञात होना अपेक्षित है कि विलंब से अभियोग पंजीकृत होने से घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण के भागने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि अभियोग पंजीकृत कराये जाने में किया गया विलंब हमेशा अभियोजन पक्ष हेतु घातक नहीं होता परंतु जहां तहरीर लिखे जाने व अभियोग पंजीकृत कराये जाने के संबंध में तात्विक विरोधाभास उत्पन्न हो वहां यह विलंब स्वयं में अभियोजन पक्ष का एक कमजोर पक्ष सिद्ध हो सकता है। वर्तमान प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा अपनी हाथ में चोट लगने से तहरीर लिखे जाने में असमर्थता के बाबत दिये गये कथन के साथ–साथ इस तथ्य पर भी तात्विक विरोधाभास है कि वास्तव में तहरीर किसके द्वारा लिखी गयी थी। ऐसी स्थिति में जब वादी द्वारा घटना की ही तिथि पर तहरीर किसी अन्य व्यक्ति से अस्पताल में ही लिखा दी गयी थी और अस्पताल में उसके घर वाले मौजूद भी थे तो इसके बाद भी घटना के 24 घंटे बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात एक दिन पूर्व की तिथि पर लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जाना यहीं स्पष्ट करता है कि वादी द्वारा समुचित अवसर होने के बावजूद भी जानबूझकर विलंब से अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जानबूझकर विलंब से पंजीकृत कराया जाना साजिश व झूठे कथनों की आशंका को बल प्रदान करता है और अभियोजन कथानक को स्वयं में संदिग्ध बना देता है। पुनः, विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने के तथ्य के अतिरिक्त घटना के अन्य पहलूओं पर भी विचार किया जाना आवश्यक है जो अभियोजन कथानक को प्रभावित करते हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण का वादी मुकदमा के परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण द्वारा अपने बयान में इस कथन को स्वीकार भी किया गया है। अभियोजन द्वारा घटना का कोई हेतुक भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हितबद्ध साक्षीगण हैं तथा इससे इस संभावना को भी बल मिलता है कि वादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को फर्जी तौर पर फंसाया गया है।

बचाव पक्ष के उपर्युक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में यह उल्लेख किया गया है दिनांक 30.05.2020 को समय लगभग 05.00 बजे शाम को वादी जब ग्राम सरवां बीचलापुरा में सड़क के किनारे मुजीब हसन के घर के सामने खड़ा होकर वाज़िद अली व रफीउल्लाह से कुछ बातचीत कर रहा था कि इसी बीच उसी गांव के हाजी

मुख्तार, नफीस के ललकारने पर मुल्जिमान शाहिद रज़ा, दानिश रज़ा व आसिम रज़ा ने प्रार्थी को लाठी–डण्डा व धारदार हथियार एवं पंच से मारने लगे। प्रार्थी जमीन पर गिर गया। उसी परिवार के मुदस्सीर हाथ में कट्टा लेकर प्रार्थी के ऊपर फायर किया तथा आमिर हमज़ा व अहमद रज़ा हाथ में पिस्टल लेकर फायर करने लगे जिससे मौके पर भय और आतंक का माहौल हो गया। मूल तहरीर में उल्लिखित उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि तहरीर में घटना का कोई हेतुक स्पष्ट नहीं किया गया है परंतु इतना तो स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण वादी मुकदमा नुरुल हसन के ही गांव के रहने वाले हैं। कायमी जी.डी. प्रदर्श क–5 में यह उल्लेख किया गया है कि वादी से घटना के कारण के संबंध में पूछने पर कोई कारण अवगत नहीं कराया गया। पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मेरे ऊपर इस घटना के बाद कुल तीन मुकदमें चल रहे हैं। यह तीनों मुकदमें मुल्जिमान से नहीं चल रहे हैं, इनके रिश्तेदार (साले) से चल रहे हैं। सभी मुल्जिमान एक ही खानदान से हैं। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैं नुरुल हसन को जानता हूं। ये मेरे गांव के हैं। नुरुल हसन से हमारे संबंध अच्छे हैं। इनके घर हम लोगों का खानपान खाना–पीना होता है। हमारा परिवार व नुरुल हसन का परिवार एक–दूसरे के सुख–दुख में आता–जाता है। पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि घायल नुरुल हसन मेरे गांव के ही हैं। नुरुल हसन से मेरे संबंध अच्छे हैं। नुरुल हसन के परिवार व मेरे परिवार के बीच आना–जाना व खाना–पीना होता है। अभियुक्तगण से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। पी.डब्लू. 6 वाजिद अली ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वादी मुकदमा नुरुल हसन के घर से मेरे घर के संबंध अच्छे हैं। नुरुल हसन ने अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा क्यों दर्ज कराया मैं इसका कारण नहीं बता सकता। पी.डब्लू. 7 निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि वादी से घटना के कारण के संबंध में पूछने पर कोई कारण अवगत नहीं कराया गया। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण और फरियादी नूरूल हसन के मध्य पूर्व से कोई रंजिश नहीं थी। घटना दिनांक व समय को मौके पर मुल्जिमान और फरियादी नूरूल हसन के बीच कोई विवाद नहीं हुआ था। अभियुक्तगण मौके पर अचानक आये और ललकारते हुए फरियादी नूरूल हसन के साथ मारपीट करने लगे।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि सभी अभियुक्त एक ही खानदान व परिवार से संबंधित हैं। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी द्वारा घटना का कोई हेतुक स्पष्ट नहीं किया गया है न ही इस बाबत कोई कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ किस कारणवश मारपीट की गयी थी। घटना के पूर्व की किसी जमीनी रंजिश अथवा अन्य कोई रंजिश के बाबत भी किसी साक्षीगण द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है परंतु पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ, पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह व पी.डब्लू. 6 वाजिद अली के उपर्युक्त बयान से इतना तो स्पष्ट है कि इन तीनों साक्षीगण के पारिवारिक संबंध वादी नुरुल हसन के परिवार के साथ अच्छे हैं तथा अभियुक्तगण के परिवार के साथ अच्छे नहीं हैं। पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में दिये गये बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान घटना के पश्चात् वादी के रिश्तेदारों (साले) के साथ तीन अन्य मुकदमें चल रहे हैं। घटना के

वास्तविक हेतुक के बाबत अभियोजन कथानक के साथ–साथ सभी अभियोजन साक्षीगण बिल्कुल मौन हैं परंतु अभियुक्तगण द्वारा दिये गये अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह उल्लेख किया गया है कि गांव के चुनावी रंजिश के कारण उन्हें फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। विदित है कि चुनावी रंजिश के बाबत भी किसी भी अभियोजन साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादी के परिवार के साथ अभियोजन साक्षीगण पी.डब्लू. 2 व पी.डब्लू. 3 के साथ पारिवारिक संबंध अच्छा होना व अभियुक्तगण के परिवार के साथ संबंध अच्छे न होना, अभियोजन द्वारा कोई स्पष्ट हेतुक न बताया जाना व अभियुक्तगण द्वारा गांव की चुनावी रंजिश के कारण फर्जी फंसाये जाने का तथ्य अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य है कि विवेचक PW–7 निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय ने स्पष्ट कहा है कि वादी से घटना के कारण के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उसने कोई कारण नहीं बताया। अभियोजन के किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया कि अभियुक्तगण और नुरुल हसन के बीच तत्काल पूर्व कोई विवाद, झगड़ा, भूमि विवाद, चुनावी रंजिश अथवा अन्य ऐसा कारण था जिसके चलते नौ व्यक्तियों का समूह एक साथ अचानक जानलेवा हमला करने पहुँच जाता। यद्यपि प्रत्येक मामले में हेतुक आवश्यक नहीं होता, किन्तु जब प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य स्वयं संदेहास्पद हो जाए तो हेतुक का अभाव अभियोजन की कमजोरी को और बढ़ा देता है। अतः घटना के अन्य पहलुओं पर साक्षीगण के बयानों के आधार पर औपचारिक साक्षीगण के बयान व दस्तावेजी साक्ष्यों का भी सम्यक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल तहरीर में यह उल्लेख किया गया है कि वादी घटना के समय मुजीब हसन के घर के सामने वाजीद अली व रफीउल्लाह के बातचीत कर रहा था। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाजी मुख्तार व नफीस ने ललकारा था परंतु इसके विपरीत अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के बयानों में उपर्युक्त दोनों बिंदुओं पर विरोधाभास है जो उनके घटनास्थल पर उपस्थिति को संदिग्ध बना देता है।

बचाव पक्ष के उपर्युक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

मूल तहरीर प्रदर्श क–1 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी आज दिनांक 30.05.2020 को समय लगभग 05.00 बजे शाम को ग्राम सरवां बीचलापुरा में सड़क के किनारे मुजीब हसन के घर के सामने खड़ा होकर वाज़िद अली व रफीउल्लाह से कुछ बातचीत कर रहा था कि इसी बीच उसी गांव के हाजी मुख्तार व नफीस के ललकारने पर मुल्जिमान शाहिद रज़ा, दानिश रज़ा व आसिम रज़ा ने प्रार्थी को लाठी–डण्डा व धारदार हथियार एवं पंच से मारने लगे। पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 30.05.2020 को समय शाम 5 बजे की है। मैं बिचलापुरा मे सड़क के किनारे मुजीब हसन के दुकान के किनारे खड़ा था। खड़े होकर वाजिद अली व रफीउल्लाह से बात कर रहा था। हाजी मुख्तार व नफीस अहमद के ललकारने पर मुज़म्मिल व शाहिद, दानिश रज़ा व आसिम रज़ा लाठी–डण्डा, पंच, गडास से मारन पीटने लगे। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी मुख्य

परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 30.05.2020 को शाम 5.00 बजे की है। मैं अपने किराने की दुकान पर मौजूद था। मेरी दुकान के सामने नुरुलहसन, वाजिद अली, रफीउल्लाह, जो मेरे ही गांव के है, बातचीत कर रहे थे। हाजी मुख्तार एवं नफीस अहमद किसी को ललकारे नहीं थे। मैंने ललकारने वाली बात नहीं सुनी थी। मेरी दुकान के सामने मुल्जिमान मुदस्सीर, मुज़म्मिल, आमिर हमज़ा, दानिश रज़ा, हाशिम रज़ा, अहमद रज़ा अचानक मेरी दुकान के सामने आकर नुरुल हसन को डण्डा, पंच और लात मुक्का से मारने लगे। पी.डब्लू. 6 वाजिद अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 30.05.2020 की है। शाम को लगभग पांच बजे थे। मैं मुजीब अशरफ के दुकान के सामने रफीउल्लाह, जाकिर अली, योगेन्द्र सिंह, अरुण गुप्ता व हारुन रशीद के साथ खड़ा था। हम लोगों के साथ मुजीब अशरफ भी खड़े थे। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, अचानक कुछ लोग आपस में मारपीट करने लगे। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 30.05.2020 की लगभग सायं 5 बजे मुजीब के दुकान की है। घटना के समय मैं मुजीब की दुकान में सामान लेने गया था। जब मैं दुकान में सामान ले रहा था, उसी समय सभी अभियुक्तगण अपने–अपने हाथ लाठी–डण्डा और राड तथा अभियुक्त मुदस्सीर अपने हाथ में रिवाल्वर रखे हुये मौके पर आये थे। मौके पर हाजी मुख्तार व नफीस ने अपने लड़कों को ललकारा तो सभी लोग फरियादी नुरुल हसन के साथ मारपीट करने लगे। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैं घटना दिनांक को साईकिल से साढ़े चार बजे शाम को मुजीब की दुकान में सामान लेने के लिए गया था। मैं मुजीब की दुकान में पांच बजे शाम के पूर्व पहुँच गया था। मैं 15–20 मिनट पूर्व मुजीब की दुकान में पहुंच गया था। जब मैं दुकान में खड़ा था उसी समय मुल्जिमान आये थे। मेरे पहुँचने के पहले से फरियादी नुरुल हसन मुजीब की दुकान पर खड़ा था। नुरुल हसन किसी से बात नहीं कर रहा था वहीं चुपचाप खड़ा था। पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण मुज़म्मिल, नफीस, हाजी मुख्तार, शाहिद, दानिश रज़ा, अहमद रज़ा, आमिर रज़ा, हाशिम रज़ा व मुदस्सीर को घटना के पहले से मैं जानता पहचानता हूँ। घटना दिनांक 30.05.2020 समय शाम 5 बजे को मैं घर का सामान लेने जा रहा था। देखा कि मुजीब हसन के घर के सामने आदेडीह के नुरुल हसन को उपरोक्त मुल्जिमान अपने–अपने हाथ में लिये लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस होकर गिराकर मार रहे थे।

उपर्युक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि घटना के दौरान वादी मुकदमा के साथ घटनास्थल पर बातचीत करने वाले व्यक्तियों व अभियुक्तगण के ललकारने वाले तथ्य में मूल तहरीर के साथ–साथ वादी मुकदमा व अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के परस्पर बयानों में विरोधाभास है। मूल तहरीर प्रदर्श क–1, पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन व पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ के अपने मुख्य परीक्षा के बयान के अनुसार वादी नुरुल हसन घटनास्थल पर वाजिद अली व रफीउल्लाह के साथ बातचीत कर रहा था परंतु पी.डब्लू. 6 वाजिल अली के मुख्य परीक्षा के कथन के अनुसार घटनास्थल पर रफीउल्लाह, जाकिर अली, योगेन्द्र सिंह, अरुण गुप्ता, हारुन रशीद व मुजीब अशरफ खड़े थे व आपस में बातचीत कर रहे थे। इसके ठीक विपरीत पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर

पहुंचा तो उसके पहुँचने के पहले से फरियादी नूरूल हसन मुजीब की दुकान पर खड़ा था और नूरूल हसन किसी से बात नहीं कर रहा था वहीं चुपचाप खड़ा था। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा के साथ–साथ उपर्युक्त सभी साक्षीगण के बयानों में इस संबंध में विरोधाभास है कि घटना के समय कौन–कौन से साक्षी उपस्थित थे व कौन–किससे बातचीत कर रहा था। इसी प्रकार तहरीर के साथ–साथ वादी मुकदमा पी.डब्लू. 1 नुरुल हसन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में कहीं पर भी घटनास्थल पर योगेन्द्र व अरुण कुमार गुप्ता के उपस्थित होने का कथन नहीं किया गया है जबकि अभियोजन द्वारा उसे बतौर प्रत्यक्षदर्शी व स्वतंत्र साक्षी परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन के अनुसार घटना के समय वह वाजिद और रफीउल्लाह से बातचीत कर रहा था। पी.डब्लू. 6 वाजिद अली के अनुसार उसके साथ घटना के समय घटनास्थल पर रफीउल्लाह, जाकिर, योगेन्द्र, अरुण और हारून पहले से खड़े थे। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह के अनुसार वह दुकान पर सामान खरीद रहा था।पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता के अनुसार वह रास्ते से जा रहा था। पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह के अनुसार वह घर पर था और बाद में आया। अतः उपर्युक्त तात्विक विरोधाभासी कथनों से यहीं स्पष्ट होता है कि अभियोजन यह भी स्थापित करने में सफल नहीं है कि वास्तव में घटना के समय कौन उपस्थित था। इसके अतिरिक्त मूल तहरीर प्रदर्श क–1 में ललकारने वालों में हाजी मुख्तार व नफीस का उल्लेख किया गया है जिसका समर्थन पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी की है जबकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया है कि हाजी मुख्तार एवं नफीस अहमद किसी को ललकारे नहीं थे। मैंने ललकारने वाली बात नहीं सुनी थी। इसके अतिरिक्त पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा परीक्षित अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण द्वारा किसी अभियुक्त के ललकारे जाने के बाबत कोई कथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जब प्रथम सूचना रिपोर्ट और पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन, जो कथित रूप से अपनी दुकान पर मौजूद था, के अनुसार पूरी घटना की शुरुआत हाजी मुख्तार और नफीस की ललकार से हुई थी जबकि पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने हाजी मुख्तार अथवा नफीस द्वारा किसी प्रकार की ललकार नहीं सुनी थी जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल कथा ही ललकार पर आधारित है। ऐसी स्थिति में यदि घटना की शुरुआत ही जिस कथन पर आधारित है वही स्वतंत्र साक्षियों से सिद्ध नहीं हो रहा, तो अभियोजन की मूल कथा कमजोर पड़ जाती है।

बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मूल तहरीर के साथ–साथ साक्षीगण के बयानों में अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त हथियारों के संबंध में भी तात्विक विरोधाभास हैं। तहरीर में अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डण्डा, धारदार हथियार, पंच, कट्टा व पिस्टल का प्रयोग किया जाना बताया गया है परंतु साक्ष्य के दौरान अभियोजन साक्षीगण द्वारा गड़ास जैसे हथियार का भी अभियुक्तगण द्वारा प्रयोग किया जाना बताया गया है। इसके अतिरिक्त कौन सा अभियुक्त कौन सा हथियार लिए हुए था, इस बिंदु पर भी तहरीर के साथ–साथ प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयानों में तात्विक विरोधाभास व विसंगतियाँ है जो संपूर्ण अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है व साक्षीगण की विश्वसनीयत पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है।

बचाव पक्ष के उपर्युक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

मूल तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लेख किया गया है कि हाजी मुख्तार व नफीस के ललकारने पर मुल्जिमान शाहिद रज़ा, दानिश रज़ा व आसिम रज़ा ने प्रार्थी को लाठी–डण्डा व धारदार हथियार एवं पंच से मारने लगे। प्रार्थी को आसिम रज़ा ने लाठी से दाहिने हाथ में मार दिया जिससे दाहिना हाथ टूट गया। दानिश ने पंच से सिर में मार दिया जिससे गंभीर चोटें आयी और शरीर पर कई जगह चोटें आयी हैं। उसी परिवार के मुदस्सीर हाथ में कट्टा लेकर प्रार्थी के ऊपर फायर किया लेकिन गोली प्रार्थी के कनपटी से निकल गयी तथा आमिर हमज़ा व अहमद रज़ा हाथ में पिस्टल लेकर फायर करने लगे जिससे मौके पर भय और आतंक का माहौल हो गया। पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हाजी मुख्तार व नफीस अहमद के ललकारने पर मुज़म्मिल व शाहिद, दानिश रज़ा व हाशिम रज़ा लाठी–डण्डा, पंच, गडास से मारन पीटने लगे। उसके बाद मैं जमीन पर गिर गया। मो. मुदस्सीर कट्टा से मेरे कनपटी पर सटाकर मारा जो मुझको गोली नहीं लगी व बगल से निकल गयी। लाठी से हाशिम रज़ा ने मेरे हाथ पर मारा था जिससे मेरा हाथ टूट गया और सर पर पंच से अहमद रज़ा व मुज़म्मिल ने मारा जो अभी भी निशान है। पिस्टल से आमिर रज़ा व अहमद रज़ा ने फायर किया था जिससे मौके पर भीड़ हो गयी थी व भय तथा आतंक का माहौल हो गया था। पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि गडासा से मेरे ऊपर एक बार प्रहार हुआ था फिर दुबारा गड़ासा से प्रहार नहीं हुआ था। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिमान मुदस्सीर, मुज़म्मिल, आमिर हमज़ा, दानिश रज़ा, हाशिम रज़ा, अहमद रज़ा अचानक मेरी दुकान के सामने आकर नुरुल हसन को डण्डा, पंच और लात मुक्का से मारने लगे। नुरुल हसन अपनी जान बचाकर मेरी दुकान से पूरब की तरफ भागने लगा। जब वह भागने लगा तो मुदस्सीर ने जान मारने की नियत कट्टे से उसके ऊपर फायर कर दिया। लोग दौड़ाने लगे तो आमिर हमज़ा व अहमद रज़ा ने पीछे मुड़कर भीड़ पर जान मारने की नियत से फायर कर दी। पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि शाम के लगभग पांच बजे अभियुक्तगण मुज़म्मिल, शाहिद, मुदस्सीर, अहमद रज़ा, मु. दानिश, मु. आसिम और आमिर हमज़ा लाठी डण्डा व हाकी से नुरुल हसन को मारने लगे। पी.डब्लू. 6 वाजिद अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हम लोगों ने देखा कि नुरुल हसन को 4–5 लोग मारपीट रहे थे। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जब मैं दुकान में सामान ले रहा था, उसी समय सभी अभियुक्तगण अपने–अपने हाथ में लाठी–डण्डा और राड तथा अभियुक्त मुदस्सीर अपने हाथ में रिवाल्वर रखे हुये मौके पर आये थे। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त मुदस्सीर के अलावा सभी अभियुक्तगण के हाथ में लाठी–डंडा था। पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं देखा कि मुजीब हसन के घर के सामने आदेडीह के नुरुल हसन को उपरोक्त मुल्जिमान अपने–अपने हाथ में लिये लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस होकर गिराकर मार रहे थे। अभियुक्त आसिम रज़ा ने लाठी से नुरुल हसन के ऊपर दाहिने हाथ

पर मार दिये, जिससे उसका हाथ टूट गया, काफी गम्भीर चोट आ गयी। अभियुक्त मुदस्सीर ने अपने हाथ में लिये कट्टे से नुरुल हसन के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया परन्तु वह बाल–बाल बच गये। अभियुक्त आमिर हमज़ा भी पिस्टल से फायर करने लगे, जिससे अफरा–तफरी का माहौल हो गया। पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि जो मुल्जिम हाथ में डंडा और धारदार हथियार रखते थे उनका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। मैंने पुलिस कथन में यह नहीं बताया था कि कौन मुल्जिम क्या हथियार अपने हाथ में रखे हुए था। मैंने अपने पुलिस कथन में अभियुक्त आसिम रज़ा द्वारा हाथ में लाठी लेकर नुरुल हसन को दाहिने हाथ में मारने की बात नहीं लिखाया था। मौके पर अभियुक्त मुदस्सीर द्वारा कट्टे से फायर किये जाने की बात मैंने अपने पुलिस कथन में नहीं लिखाया था। स्वतः बताया कि मौके पर कट्टे से फायर हुआ था। यह सही है कि मैंने अपने पुलिस कथन में किसी भी अभियुक्तगण का नाम नहीं लिखाया था यदि विवेचक ने लिख लिया हो तो कारण नहीं बता सकता हूँ। यह सही है कि अभियुक्त मुदस्सीर द्वारा कट्टे से फायर करना और अभियुक्त आसिम रज़ा द्वारा डंडा से नुरुल हसन को मारपीट करने की बात मेरे पुलिस कथन में लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता हूँ। पिस्टल से फायर करने वाले मुल्जिम का नाम मैं नहीं जानता हूँ। न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को पहचानकर मैं आज नहीं बता सकता हूँ कि उनमें से किस आरोपी ने पिस्टल से और किस आरोपी ने कट्टे से फायर किया था। हाजिर अदालत आरोपीगण को देखकर मैं आज यह भी नहीं बता सकता कि किसने लाठी डंडा से और किसने धारदार हथियार से फरियादी नुरुल हसन के साथ मारपीट किये थे। अभियुक्तगण किस प्रकार का धारदार हथियार रखे थे मैं आज नहीं बता सकता हूँ।

उपर्युक्त साक्षीगण के साक्ष्यों से यह विदित होता है कि किसी भी साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किया गया है कि कौन–सा विशिष्ट अभियुक्तगण कौन–कौन से विशिष्ट हथियारों से लैश था जिसका प्रयोग घटना कारित किये जाने में किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने हाजी मुख्तार व नफीस के ललकारने पर शाहिद, दानिश और आसिम द्वारा लाठी, डण्डा, धारदार हथियार व पंच से मारने की बात कही गयी है जबकि न्यायालय में पी.डब्लू. 1 के रूप में साक्ष्य देते हुए वादी नुरुल हसन ने मुज़म्मिल को भी हमलावरों में शामिल कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त अहमद रज़ा केवल पिस्टल से फायर करने वालों में था, किन्तु न्यायालय में पी.डब्लू. 1 वादी ने कथन किया है कि सिर पर पंच से अहमद रज़ा और मुज़म्मिल ने प्रहार किया था। इसी क्रम में पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने न्यायालय में पहली बार गड़ासा से प्रहार होने की बात कही है जबकि पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने कथन किया है कि उसने कोई धारदार हथियार नहीं देखा। पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह ने हाकी का भी प्रयोग किये जाने का कथन किया गया है जबकि तहरीर में घटना के दौरान हाकी के प्रयोग होने का कथन नहीं किया गया है। तहरीर में राड़ का प्रयोग नहीं किया गया है जबकि पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह ने लाठी–डण्डा के साथ–साथ रॉड का प्रयोग किया जाना भी कहा गया है। इसी प्रकार पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता ने स्पष्ट कथन किया है कि जो मुल्जिम हाथ में डंडा और धारदार हथियार रखते थे उनका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में लाठी, डण्डा, पंच, गड़ासा, कट्टा तथा पिस्टल का

प्रयोग किया गया था, किन्तु इन हथियारों के संबंध में साक्षीगण के कथन परस्पर असंगत एवं अविश्वसनीय हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन, पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ, पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह और पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता के कथनों की तुलना व विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि कौन अभियुक्त किस हथियार से हमला कर रहा था, इस संबंध में उपर्युक्त साक्षीगण का कथानक लगातार बदल रहा है। कभी अहमद रज़ा द्वारा फायरिंग किया जाना कहा गया है, कभी पंच से मारना कहा गया है, कभी आमिर हमज़ा द्वारा फायर किया जाना कहा गया है तो कभी उसका उल्लेख ही नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में लाठी–डण्डा, धारदार हथियार, पंच, कट्टा व पिस्टल का प्रयोग होना कहा गया है जबकि दौरान साक्ष्य नये शस्त्र गड़ासा, हाकी व राड़ को भी साक्षीगण द्वारा शामिल कर लिया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये सभी साक्षीगण के बयानों से यह कहीं से भी स्पष्ट नहीं होता है कि घटना के समय कौन सा अभियुक्त किस हथियार से लैश था। इसी प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार कुल 9 अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट की जा रही थी परंतु पी.डब्लू. 6 वाजिद अली के अनुसार नुरुल हसन को 4–5 लोग मारपीट रहे थे। साक्षीगण की ऐसी बदलती हुई भूमिका सामूहिक झूठे आरोप की संभावना को बल देती है और अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देते हैं। ऐसी स्थिति में जब साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना में अभियुक्तगण द्वारा कौन–कौन से हथियार प्रयोग में लाये गये थे तो इस संबंध में चोटहिल के शरीर पर आयी चोटों का विश्लेषण किया जाना उपयुक्त होगा।

इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार जिस प्रकार से कुल 9 अभियुक्तगण द्वारा मात्र एक व्यक्ति वादी मुकदमा नुरुल हसन को लाठी–डण्डा, धारदार हथियार, गड़ासा, पंच, हाकी, राड़, कट्टा व पिस्टल से हमला किया जाना कहा गया है उस प्रकार से वादी नुरुल हसन के शरीर पर चोटें आना दर्शित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी के बयान व अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयानों में इस विषय पर भी तात्विक विरोधाभास है कि घटनास्थल पर कुल कितना फायर हुआ था। वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में कुल 10–15 राउंड फायर होने का कथन किया गया है परंतु उसे फायरआर्म की कोई भी चोट न आना वादी की संपूर्ण कहानी हो संदिग्ध बना देता है। इसी प्रकार वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसके शरीर पर कई लाठी की चोटें आयी थी परंतु आघात आख्या वादी के इस कथन का समर्थन नहीं करता है। इसी क्रम में वादी द्वारा स्वयं का हाथ टूटने का कथन भी चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा समग्र रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकार से संपूर्ण अभियोजन कथानक है व जिस प्रकार से सभी साक्षीगण द्वारा साक्ष्य दिया गया है उससे चिकित्सकीय साक्ष्य बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है।

बचाव पक्ष के उपर्युक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

मूल तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लेख किया गया है कि इसी बीच उसी गांव के हाजी मुख्तार व नफीस के ललकारने पर मुल्जिमान शाहिद रज़ा, दानिश रज़ा व आसिम रज़ा ने प्रार्थी को लाठी–डण्डा व

धारदार हथियार एवं पंच से मारने लगे। प्रार्थी जमीन पर गिर गया। प्रार्थी को आसिम रज़ा ने लाठी से दाहिने हाथ में मार दिया जिससे दाहिना हाथ टूट गया। दानिश ने पंच से सिर में मार दिया जिससे गंभीर चोटें आयी और शरीर पर कई जगह चोटें आयी हैं। उसी परिवार के मुदस्सीर हाथ में कट्टा लेकर प्रार्थी के ऊपर फायर किया लेकिन गोली प्रार्थी के कनपटी से निकल गयी तथा आमिर हमज़ा व अहमद रज़ा हाथ में पिस्टल लेकर फायर करने लगे जिससे मौके पर भय और आतंक का माहौल हो गया। पी.डब्लू. 1 के रूप में साक्ष्य देते हुए वादी नुरुल हसन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हाजी मुख्तार व नफीस अहमद के ललकारने पर मुज़म्मिल व शाहिद, दानिश रज़ा व आसिम रज़ा लाठी–डण्डा, पंच, गडासा से मारने–पीटने लगे। उसके बाद मैं जमीन पर गिर गया। मो. मुदस्सीर कट्टा से मेरे कनपटी पर सटाकर मारा जो मुझको गोली नहीं लगी व बगल से निकल गयी। लाठी से आसिम रज़ा ने मेरे हाथ पर मारा था जिससे मेरा हाथ टूट गया और सर पर पंच से अहमद रज़ा व मुज़म्मिल ने मारा जो अभी भी निशान है। पिस्टल से आमिर रज़ा व अहमद रज़ा ने फायर किया था जिससे मौके पर भीड़ हो गयी थी व भय तथा आतंक का माहौल हो गया था। पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मेरे बायें हाथ में चोट लगी थी। पिस्टल से जहां में था वहां से 10 फिट की दूरी से फायर हो रहा था। पिस्टल से दो लोग फायर कर रहे थे। दोनों लोगों को मिलाकर 10/15 राउंड फायर हुआ था। कट्टे से आमने–सामने से फायर हुआ था। एक फायर कट्टे से हुआ था। किसी फायर की चोट मुझे नहीं लगी थी। जिस समय कट्टे एवं पिस्टल से फायर हो रहा था उस समय मैं दक्षिण की ओर रूख कर खड़ा था, फिर कहा मैं गिर गया था। जब गिर गया तब कोई फायर नहीं हुआ। <u>गड़ासा से मेरे ऊपर एक बार प्रहार हुआ था। फिर दुबारा गड़ासा से प्रहार नहीं हुआ था।</u> दारोगा जी ने मेरा बयान लिया था। <u>मैंने दारोगा जी को केवल फायर के बारे में बताया था।</u> सामने से जो कट्टे से फायर हुआ था वह दो–तीन फीट की दूरी से हुआ था। उस समय मैं जमीन पर गिर गया था। पहले पिस्टल से फायर हुआ था। मेरे दोनों हाथ में चोट लगी हुई थी इसलिए मैनें नहीं लिखा। मेरा दाहिना हाथ सूज गया था। दाहिने हाथ से खून नहीं बह रहा था। <u>मेरे दाहिने हाथ में कम से कम 20/25 लाठी की चोट लगी थी</u>। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिमान मुदस्सीर, मुज़म्मिल, आमिर हमज़ा, दानिश रज़ा, हाशिम रज़ा, अहमद रज़ा अचानक मेरी दुकान के सामने आकर नुरुल हसन को डण्डा, पंच और लात मुक्का से मारने लगे। नुरुल हसन अपनी जान बचाकर मेरी दुकान से पूरब की तरफ भागने लगा। जब वह भागने लगा तो मुदस्सीर ने जान मारने की नियत कट्टे से उसके ऊपर फायर कर दिया। <u>नुरुल हसन आगे जाकर गिर गया। सभी मुल्जिमान वहां पहुंचकर फिर मारने लगे।</u> गाँव के लोगो ने नुरुल हसन को उठाकर सड़क पर लाया उसका सिर फट गया था जिससे खून बह रहा था। <u>थोड़ी देर बाद वह वहीं पर बेहोश हो गया।</u> पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि हमने हवाई फायर की आवाज सुना था। <u>मैंने एक फायर की आवाज सुना था। यानी एक ही फायर हुआ था</u>। पी.डब्लू. 7 निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि कां. मुहर्रिर ने मुझे यह बयान दिया था कि वादी का मेडिकल मुआयना पूर्व में कराया जा चुका था जिसमें हाथ का टूटना अंकित

नहीं है। वादी मुकदमा नुरुल हसन ने मुझे यह बयान नहीं दिया था कि पिस्टल से जहां मैं था वहां से 10 फीट की दूरी से फायर हो रहा था। पिस्टल से दो लोग फायर कर रहे थे। दोनों लोगों को मिलाकर 10–15 राउण्ड फायर हुआ था। वादी नुरुल हसन ने मुझे यह बयान नहीं दिया था कि कट्टे से आमने–सामने से फायर हुआ था। एक फायर कट्टे से हुआ था, कोई फायर हमको नहीं लगा था। मुझे पीछे से फायर करने वाला बयान दिया था। वादी मुकदमा नुरुल हसन ने मुझे यह बयान नहीं दिया था कि गड़ासा से मेरे ऊपर एक बार प्रहार हुआ था, फिर दोबारा गड़ासा से प्रहार नहीं हुआ था। वादी मुकदमा ने मुझे मुल्जिमान द्वारा फायर करने की दूरी नहीं बताया था। वादी मुकदमा की निशानदेही पर नक्शा नजरी मैंने तैयार किया था। निरीक्षण घटनास्थल के समय वादी मुकदमा ने मुल्जिमान द्वारा कितनी दूरी से फायर किया गया था यह नहीं बताया था। मेरे द्वारा फायर करने की दूरी का जिक्र नहीं किया गया है। पी.डब्लू. 8 उप–निरीक्षक अशोक कुमार यादव ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वादी मुकदमा नुरुल हसन ने अपने मजीद बयान में मुझे यह बयान दिया था कि– इसी बीच उसी गांव के रहने वाले हाजी मुख्तार व नफीस ललकारते हुए कि पकड़ो जान से मार डालो, मुल्जिम शाहिद, दानिश रज़ा, हासिम रज़ा लाठी–डण्डा व धारदार हथियार से जान मारने की नियत से मारने लगे। मैं जमीन पर गिर गया। गिरने पर आसिम रज़ा ने लाठी से दाहिने हाथ पर मार दिया जिससे दाहिना हाथ टूट गया तथा दानिश ने पंच से सिर पर मार दिया जिससे हमें काफी चोटें आयी। वादी मुकदमा नुरुल हसन ने अपने हाथ की हड्डी टूटने के बारे में कोई एक्स–रे प्लेट हमको नहीं दिया था। यदि दिया होता तो मैं 325 आई.पी.सी. में तरमीम करके विवेचना करता। मैंने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के आदेश के अनुसार मुल्जिमान ने घटना में प्रयुक्त शस्त्र व खोखा कारतूस बरामद करने हेतु अग्रिम विवेचना किया था। उसमें मैंने सारे मुल्जिमान का बयान लिया जिसमें मुल्जिमानों ने बताया कि हम लोग भागते समय हथियार कहीं फेंक दिये और खोखा कारतूस का पता नहीं चला जिसके आधार पर मैने दिनांक 18.10.2020 को एस. सी.डी. लगाकर विवेचना समाप्त कर दिया। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जब मारपीट से फरियादी नुरुल हसन जमीन पर गिर गया था उस समय अभियुक्त मुदस्सीर उसके ऊपर रिवाल्वर से एक फायर किया था। अभियुक्त द्वारा किया गया फायर फरियादी के शरीर पर नही लगा था। रिवाल्वर की गोली कहा लगी और कहा चली गयी थी, मैंने नही देखा था। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि नुरुल हसन को मुल्जिमान खड़ी हालत में मारे और उसके बाद गिरने के बाद मारे थे। अभियुक्तगण ने फरियादी नुरुल हसन को खड़ी हालत में 10–15 लाठी मारे थे, जिसके बाद नूरूल हसन गिर गया था। नुरुल हसन के गिरने के बाद मुल्जिमान 10–20 लाठी मारे थे। सभी लाठी की चोट फरियादी के शरीर पर आयी थी, मैंने देखा था। अभियुक्तगण द्वारा की गयी मारपीट से फरियादी बेहोश नहीं हुआ था। अभियुक्त मुदस्सीर ने 5–7 मीटर दूर से फरियादी के ऊपर रिवाल्वर से एक फायर किया था। अभियुक्त मुदस्सीर ने एक फायर के अतिरिक्त दूसरा फायर नहीं किया था। मैंने अभियुक्त मुदस्सीर को फायर करते हुए देखा था। अभियुक्त मुदस्सीर द्वारा फरियादी की ओर इंगित करते हुए फायर किया गया था। उस फायर की गोली फरियादी को नहीं लगी थी, जमीन में भी गोली लगने का मैंने कोई निशान

नहीं देखा था। गोली कहाँ गयी मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने पुलिस कथन में अभियुक्त मुदस्सीर द्वारा फरियादी के ऊपर फायर करने की बात बताया था। मैंने अपने पुलिस कथन में यह भी लिखाया था कि जिस स्थान पर फरियादी को मारपीट कर गिराया गया था उसी स्थान पर अभियुक्त मुदस्सीर द्वारा उसके ऊपर गोली चलायी गयी थी। यह सही है कि मैंने अपने पुलिस कथन में यह लिखाया है कि आस–पास ही मुदस्सीर कट्टे से फायर किया जो मिस हो गया था। अभियुक्तगण ने फरियादी को 5–7 मिनट तक मारा था। फरियादी का मारपीट से हाथ टूट गया था, कौन–सा हाथ टूटा था मुझे नहीं मालूम। पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैंने देखा कि मुजीब हसन के घर के सामने आदेडीह के नुरुल हसन को उपरोक्त मुल्जिमान अपने–अपने हाथ में लिये लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस होकर गिराकर मार रहे थे। अभियुक्त आसिम रज़ा ने लाठी से नुरुल हसन के ऊपर दाहिने हाथ पर मार दिये, जिससे उसका हाथ टूट गया, काफी गम्भीर चोट आ गयी। अभियुक्त मुदस्सीर ने अपने हाथ में लिये कट्टे से नुरुल हसन के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया परन्तु वह बाल–बाल बच गये। पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण ने लाठी डंडा से पाँच–छः बार खड़ी स्थिति में मारपीट किया था। धारदार हथियार से खड़ी स्थिति में अभियुक्तगण ने फरियादी पर कितनी बार प्रहार किया था मैं नहीं बता सकता हूँ। फरियादी मारपीट के पश्चात गिर गया था लेकिन गिरने के बाद उसके साथ अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं किया था। फरियादी के शरीर पर धारदार हथियार से कितनी चोटें आयी थी मैं नहीं बता सकता।

उपर्युक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि चोटहिल वादी नुरुल हसन के साथ–साथ अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण द्वारा अपने बयान में फायर होने की संख्या के बिंदु पर भी तात्विक एवं प्रबल विरोधाभास है। मूल तहरीर में फायर की संख्या नहीं बतायी गयी है। वादी मुकदमा के उपर्युक्त बयान के अनुसार उसके ऊपर दो लोगों ने पिस्टल से 10–15 राउंड फायर किया तथा कट्टे से एक फायर हुआ था अर्थात् वादी नुरुल हसन के अनुसार कुल मिलाकर 11 से 16 राउंड फायरिंग हुई थी। इसी प्रकार पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ द्वारा केवल एक फायर सुनने की बात की गयी है, पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह ने फायरिंग देखी ही नहीं गयी, पी.डब्लू. 6 वाजिद अली द्वारा गोली चलने से ही इंकार किया गया है, पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह द्वारा मात्र एक फायर होने की बात कही गयी है तथा पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता के अनुसार कट्टा और पिस्टल दोनों से केवल एक–एक फायर हुआ था। स्पष्ट है कि सभी साक्षीगण द्वारा फायरिंग के संबंध में किया गया भिन्न–भिन्न कथन फायरिंग के तथ्य को स्वयं संदेहास्पद कर देता है। पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने कथन किया है कि दो व्यक्तियों ने पिस्टल से 10–15 राउंड फायर किया तथा कट्टे से भी एक फायर हुआ, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इतनी संख्या में फायरिंग का कोई उल्लेख नहीं है तथा इसके साथ ही विवेचक पी.डब्लू. 7 निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद ने भी यह स्पष्ट कथन किया है कि वादी नुरुल हसन ने उसे ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। विवेचना के दृष्टिकोण से यदि वादी के इस तथ्य को मान भी लिया जाए कि अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल पर कुल 10–15 राउंड फायरिंग की गयी थी तो ऐसी स्थिति में यदि वास्तव में 10–15 राउंड फायरिंग हुई होती तो घटनास्थल से कम से कम कोई

खोखा, गोली, प्रक्षेप्य चिह्न अथवा अन्य भौतिक साक्ष्य प्राप्त होना अपेक्षित था, किन्तु विवेचना के दौरान न तो कोई हथियार बरामद हुआ, न कोई खोखा मिला, न कोई गोली मिली और न किसी भवन, दुकान अथवा भूमि पर गोली लगने का कोई निशान पाया गया न ही कोई क्षतिग्रस्त वस्तु पायी गयी। किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र ने अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जमीन में भी गोली लगने का मैंने कोई निशान नहीं देखा था। गोली कहाँ गयी मुझे नहीं मालूम। इसके अतिरिक्त पी.डब्लू. 8 उप–निरीक्षक अशोक कुमार यादव ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि मैंने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के आदेश के अनुसार मुल्जिमान ने घटना में प्रयुक्त शस्त्र व खोखा कारतूस बरामद करने हेतु अग्रिम विवेचना किया था। उसमें मैंने सारे मुल्जिमान का बयान लिया जिसमें <u>मुल्जिमानों ने बताया कि हम लोग भागते समय हथियार कहीं फेंक दिये और खोखा कारतूस का पता नहीं चला।</u> स्पष्ट है कि दौरान विवेचना न तो कोई फायरिंग का साक्ष्य मिला न ही किसी हथियार की बरामदगी की गयी। यदि कई अभियुक्तगण द्वारा अपने हाथ में कट्टा व पिस्टल से किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके उसकी जान मारने के उद्देश्य से मात्र 10 फीट कि दूरी से 10–5 राउंड फायर किया जाता है तो इसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर है कि कोई भी गोली उस व्यक्ति को न लगे। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी को कोई भी गोली न लगना फायरिंग की घटना गंभीर संदेह के घेरे में ले आती है।

पुनः प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार चोटहिल नुरुल हसन को पहले मारपीट कर गिराया गया और फिर उसके ऊपर कट्टे से फायर हुआ। वादी ने अपनी प्रति परीक्षा में एक स्थान पर यह कथन किया है कि जब फायर हुआ तब वह खड़ा था, फिर दूसरे स्थान पर यह कथन कि है कि वह गिर गया था। वादी द्वारा आगे भी यह कथन किया गया है कि जब गिर गया तब कोई फायर नहीं हुआ। इसी प्रकार पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने कथन किया है कि घायल भागा, फिर गिरा, फिर वहाँ पहुँचकर दोबारा मारा गया। इसके विपरीत पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह के बयान के अनुसार उसी स्थान पर गिरने के बाद फायर हुआ जबकि पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता के अनुसार गिरने के बाद कोई मारपीट नहीं हुई। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के साक्ष्यों से घटना का क्रम भी निश्चित नहीं हो पा रहा। इसके अतिरिक्त तहरीर में कहीं पर भी वादी द्वारा स्वयं के बेहोश होने का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि पी.डब्लू. 2 मुजीब असरप के अनुसार घटनास्थल पर नुरुल हसन बेहोश हो गया था। इसी प्रकार पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह ने यह कथन किया है कि जब वह पहुँचा तब घायल बेहोश पड़ा था। इसके विपरीत पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिहं द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया है कि मारपीट से नुरुल हसन बेहोश नहीं हुआ था। चोटहिल के घटनास्थल पर बेहोश होने के तथ्य के संदर्भ में साक्षीगण के बयानों में आया यह विरोधाभास साधारण नहीं है क्योंकि यह चोटहिल की स्थिति से सम्बन्धित मूल तथ्य है जो स्वयं में साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति को भी साबित करता है।

जहां तक वादी के शरीर पर अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डण्डा से मारने पीटने व वादी का हांथ टूटने का संबंध है, इस संदर्भ में चोटहिल वादी की आघात आख्या के साथ–साथ उस चिकित्सक के

साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसने आघात आख्या तैयार की है। चोटहिल वादी नुरुल हसन की आघात आख्या तैयार करने वाले चिकित्सक पी.डब्लू. 5 डाक्टर मनोज कुमार पाण्डेय ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 30.05.2020 को मैं जिला अस्पताल मऊ में बतौर ई.एम.ओ. तैनात था। उस दिन थाना सरायलखंसी से पी.आर.डी. विकसित पाण्डेय चोटहिल नुरुल ह सन के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराने हेतु मैंने उससे अंगूठा निशानी लगाकर प्रमाणित किया। उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयीः–

i. फटा हुआ घाव 4 x 0.5 से.मी. जो हड्डी तक गहरा था दाहिने तरफ माथे पर दाहिने भौं से 6 से.मी. ऊपर था।। घाव के मार्जिन इर्रेगुलर थे और खून बह रहा था। चोट को निगरानी में रखकर एक्स–रे की सलाह दी गयी।

ii. नीलगू निशान सूजन के साथ जो 8 x 6 से.मी. दाहिने फोरआर्म के पीछे वाले भाग पर केहुनी के जोड़ से सटे हुए नीचे की तरफ था। घाव का रंग लाल था। चोट को निगरानी में रखकर एक्स–रे की सलाह दी गयी।

iii. नीलगू निशान खरोंच के 6 x 4 से.मी. बायें हाथ के पिछले वाले भाग पर बायीं हथेली के जोड़ से सटे हुए कलाई जोड़ के नीचे तरफ। घाव का रंग लाल था। चोट को निगरानी में रखकर एक्स–रे की सलाह दी गयी।

iv. नीलगू निशान 5 x 4 से.मी. लेफ्ट हिप ज्वाइंट पर था। घाव का रंग लाल, चोट को निगरानी में रखकर एक्स–रे की सलाह दी गयी

v. खरोंच 4 x 1 से.मी. ठुड्डी के अन्दर की तरफ लाल रंग का था।

vi. चोटहिल पीठ पर नीचे की तरफ दर्द की शिकायत बता रहा था जिसे निरीक्षण में रखा गया व एक्स–रे की सलाह दी गयी।

सभी चोटें निगरानी में रखी गयी थी, ताजी थी, हार्ड एण्ड ब्लंट आब्जेक्ट से पहुंचाई गयी थी। इस साक्षी द्वारा चोटहिल की इंजरी रिपोर्ट पर बने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान करते हुए उसको प्रदर्श क– 2 के रूप में सिद्ध किया गया है। पी.डब्लू. 5 डा. मनोज कुमार पाण्डेय ने अपनी **प्रति परीक्षा** में कथन किया है कि थाने द्वारा मजरूब को मुआयना के समय भेजते समय थाने से मजरूबी चिट्ठी भेजी जाती है। उसपर जो एफ.आई.आर. संख्या लिखी थी, मैंने वहीं इंजरी रिपोर्ट में लिख दिया। वह मजरूबी चिट्ठी इस समय मेरे सामने नहीं है। मजरूब की सभी चोटें हार्ड एण्ड ब्लंट आब्जेक्ट से आयी थी। मजरूब की चोट सं. 1, 2 व 3 सामने की तरफ से गिरने से भी आ सकती है। मजरूब की चोट सं. 5 रगड़ से आ सकती है। मजरूब की चोट सं. 6 मजरूब के बताने पर मैंने लिखा। कोई बाह्य चोट का निशान कहीं नहीं था। दर्द के और भी कारण हो सकते हैं। चोट सं. 6 को मैंने निरीक्षण में रखा था तथा एक्स–रे की सलाह दिया था। मेडिकल के बाद मजरूब को एक्स–रे प्लेट या एक्स–रे रिपोर्ट सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट हेतु नहीं रखा गया था। मजरूब की सारी चोटें साधारण प्रकृति की थी, अगर एक्स–रे में कुछ नहीं निकला हो तो।

पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन, जो स्वयं चोटहिल है, ने अपनी प्रति परीक्षा में स्वयं के ऊपर गड़ासा की एक चोट आने का कथन किया गया है तथा तहरीर में धारदार हथियार का प्रयोग किया जाना भी कहा गया है परंतु उसकी आघात आख्या में गड़ासे अथवा धारदार हथियार से आयी किसी भी incised wound, chop wound अथवा sharp weapon injury का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि वास्तव में गड़ासा या पंच जैसा धारदार हथियार प्रयुक्त हुआ होता तो कम से कम एक धारदार चोट अपेक्षित थी। इसी प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया कि आसिम ने लाठी मारकर दाहिना हाथ तोड़ दिया। वादी नुरुल हसन ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसके दाहिने हाथ पर 20–25 लाठियाँ लगी थीं। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र के अनुसार वादी को कुल 20 से 35 लाठियाँ लगीं थी। यदि ऐसा वास्तव में हुआ होता तो शरीर पर अनेक गंभीर चोटें, फ्रैक्चर, गहरे घाव, बहुल रक्तस्राव अथवा स्थायी क्षति अपेक्षित थी। किन्तु मेडिकल रिपोर्ट में केवल छह साधारण चोटें हैं जिनमें से अधिकांश contusion एवं abrasion हैं। यह चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन की मौखिक कहानी से अनुपातहीन है। पी.डब्लू. 8 विवेचक उप–निरीक्षक अशोक कुमार यादव ने स्पष्ट कथन किया है कि कोई एक्स–रे प्लेट या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी। यदि दी गयी होती तो धारा 325 IPC में विवेचना की जाती। पी.डब्लू. 5 डा० मनोज कुमार पाण्डेय ने भी कथन किया है कि यदि एक्स–रे में कुछ न निकला हो तो सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। इस प्रकार हाथ टूटने का आरोप केवल मौखिक कथन तक सीमित है और उसका कोई चिकित्सकीय प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, अतः इस तथ्य को सिद्ध नहीं माना जा सकता। चिकित्सक ने यह भी स्वीकार किया कि चोट सं. 1, 2 एवं 3 गिरने से भी सम्भव हैं। अतः जब चिकित्सकीय साक्ष्य किसी धारदार हथियार के प्रयोग का समर्थन नहीं करती और विभिन्न साक्षी विभिन्न प्रकार के हथियारों का उल्लेख करते हैं, तब धारदार हथियार अथवा गड़ासा के प्रयोग का अभियोजन का कथन विश्वास योग्य नहीं रह जाता। पुनः, पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन के अनुसार अहमद रज़ा, मुज़म्मिल तथा दानिश द्वारा उसके सिर पर पंच और अन्य हथियारों से प्रहार किया गया। यदि तीन–तीन व्यक्तियों द्वारा सिर पर वार किया गया होता तो एकाधिक चोटें अपेक्षित थीं, किन्तु मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर केवल एक लेसरेटेड घाव पाया गया। वादी का यह मौखिक साक्ष्य अतिशयोक्ति को दर्शाता है जो बिल्कुल भी चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित धारा 307 भा.दं.सं. का प्रश्न है, अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण जान से मारने की नीयत से आये थे। किन्तु वादी को गोली नहीं लगी, उसके शरीर पर किसी धारदार हथियार की चोट नहीं लगी, हांथ पर आया फ्रैक्चर सिद्ध नहीं हुआ न ही कोई गंभीर या जीवन–घातक चोट पायी गयी। ऐसी स्थिति में **"जान से मारने की नीयत"** का निष्कर्ष केवल आरोप मात्र रह जाता है, उसका कोई वस्तुगत समर्थन नहीं मिलता। यदि घटना के दूसरे पहलू की संभावनाओं पर विचार किया जाए तो इस संबंध में पी.डब्लू. 5 डा० मनोज कुमार पाण्डेय ने प्रति परीक्षा में स्पष्ट कहा कि चोट संख्या 1, 2 और 3 गिरने से भी आ सकती हैं। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है क्योंकि पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने अपनी प्रति परीक्षा में स्वयं यह कथन किया है कि वह भागते समय ईंटों पर ठोकर खाकर गिर गया था अर्थात

कम से कम तीन प्रमुख चोटों के संबंध में वैकल्पिक कारण स्वयं चिकित्सकीय साक्ष्य से उपलब्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब चिकित्सकीय साक्ष्य कथित हथियारों के प्रयोग का समर्थन नहीं करती और विभिन्न साक्षी विभिन्न प्रकार के हथियारों का उल्लेख करते हैं, तब हथियारों के प्रयोग का अभियोजन का कथन विश्वास योग्य नहीं रह जाता।

Pruthviraj Jayantibhai Vanol vs Dinesh Dayabhai Vala and Ors. (2022) 18 SCC 683 (Para 17) के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था स्थापित की गयी है किः—

> *"17. Ocular evidence is considered the best evidence unless there are reasons to doubt it. The evidence of PW-2 and PW-10 is unimpeachable. It is only in a case where there is a gross contradiction between medical evidence and oral evidence, and the medical evidence makes the ocular testimony improbable and rules out all possibility of ocular evidence being true, the ocular evidence may be disbelieved."*

अतः प्रस्तुत प्रकरण की घटना में मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सा साक्ष्य के मध्य स्पष्ट विरोधाभास पाया जाता है। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि जब प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य से पूर्णतः असंगत एवं विरोधाभासी हो, तो ऐसे मौखिक साक्ष्य की विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि चोटहिल साक्षी पी.डब्लू. 1 नुरुल हसन व अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण द्वारा बतायी गयी चोटों की प्रकृति एवं प्रयुक्त हथियार चिकित्सा साक्ष्य/आघात आख्या से पुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उससे पूर्णतया भिन्न हैं। अतः चोटहिल साक्षी का अपने शरीर पर आयी चोटों के संबंध में दिया गया बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता और इस सीमा तक चोटहिल साक्षी का बयान अविश्वसनीय एवं अतिरंजित माना जाता है।

ऐसी स्थिति में जब चोटहिल साक्षी नुरुल हसन व प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के चोटों के संबंध में दिये गये बयान से चिकित्सा साक्ष्य पुष्ट नहीं है तो अब उपर्युक्त साक्षीगण के साक्ष्यों में आये विरोधाभासों को भी देखा जाना आवश्यक है।

पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जो 112 नंबर की गाड़ी मेरे हल्के में रहती है, उसके आने के बाद मामला शांत हुआ। उसके बाद घर के लोग सरकारी अस्पताल लेकर आये। वहां पर मेरे शरीर का डाक्टरी मुआयना व इलाज हुआ। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि गाँव के लोगों ने नुरुल हसन को उठाकर सड़क पर लाये उसका सिर फट गया था जिससे खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद वह वहीं पर बेहोश हो गया। तब तक डायल 112 व थाने की पुलिस आ गई और नुरुल हसन को पुलिस वाले अपनी गाड़ी में लादकर मऊ सरकारी अस्पताल ले आए। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि जब हम अपने दुकान से निकले तब नुरुल हसन बेहोश अवस्था में पड़े थे। हम लोग उनको टैम्पू पर लादकर सदर अस्पताल मऊ लाये और वही उसको भर्ती करा दिये। पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह ने अपनी

मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि किसी ने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस आयी और नुरुल हसन को लेकर चली गयी। पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसपर किसी ने सूचना दिया और दरोगाजी आ गये और नुरुल हसन को लेकर अस्पताल चले गये।

साक्षीगण के उपर्युक्त बयानों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त तीनों साक्षीगण के बयानों में इस बिंदु पर प्रबल विरोधाभास है कि कथित घटना के बाद चोटहिल नुरुल हसन को अस्पताल कौन ले गया। चोटहिल ने स्वयं को घर वालों द्वारा अस्पताल ले जाना कहा गया है जबकि पी.डब्लू. मुजीब अशरफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में पुलिस द्वारा तथा प्रति परीक्षा में वहां उपस्थित लोगों द्वारा चोटहिल को अस्पताल ले जाना कहा गया है। इसी प्रकार पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह ने भी पुलिस द्वारा ही चोटहिल को अस्पताल ले जाना कहा गया है। ऐसी स्थिति में कथित घटना के बाद चोटहिल को अस्पताल ले जाने के संबंध में जब स्वयं चोटहिल व अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है तो उक्त साक्षीगण के बयानों पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

इसी क्रम में पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे गांव के एकलाख 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दिया था। मैंने भी 112 नंबर पर फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठा था। मौके पर 112 नंबर की पुलिस पहुंच गयी। जो 112 नंबर की गाड़ी मेरे हल्के में रहती है, उसके आने के बाद मामला शांत हुआ। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना को देखकर आस–पास के लोग नुरुल हसन को बचाने एवं मारने वाले लोगों को दौड़ाए तो मुज़म्मिल, शाहिद, दानिश रजा, आसिम रजा, मुदस्सीर, आमिर हमज़ा, अहमद रज़ा मारना पीटना छोड़कर भागने लगे। दानिश मोटर साईकिल पर बैठकर मऊ की तरफ भाग गया। हाजी मुख्तार नफीस, मुज़म्मिल, शाहिद, आसिम रजा, आमिर हमज़ा, अहमद रजा अपने घरों की तरफ गली में भागने लगे। लोग दौड़ाने लगे तो आमिर हमज़ा व अहमद रजा ने पीछे मुड़कर भीड़ पर जान मारने की नियत से फायर कर दी। दूरी अधिक होने के कारण किसी को गोली नहीं लगी। दौड़ाने वाले लोग डरवश रूक गये, और सभी मुल्जिम मौके से भाग गये। गाँव के लोगो ने नुरुल हसन को उठाकर सड़क पर लाया उसका सिर फट गया था जिससे खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद वह वहीं पर बेहोश हो गया। तब तक डायल 112 व थाने की पुलिस आ गई और नुरुल हसन को पुलिस वाले अपनी गाड़ी में लादकर मऊ सरकारी अस्पताल ले आए। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मारपीट से हल्ला–गुहार होने पर पड़ोस में रहने वाले रफिउल्लाह और अतिउल्लाह अपने हाथ में लाठी डण्डा लेकर आये तो उन्हे देखकर सभी लोग अपने घर में भाग गये थे। फरियादी मेरे सामने पुलिस कप्तान को फोन किया था और घटना की जानकारी दिया था। इसके बाद मौके पर थाना प्रभारी और कई पुलिस वाले आये थे। पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण फरियादी को घेरकर नहीं मारे थे। मेरे अतिरिक्त जाकिर, रफीउल्लाह, अतिउल्लाह मौके पर लाठी लेकर आये थे और बीच बचाव किये थे। उक्त व्यक्तियों ने किसी अभियुक्तगण को लाठी से नहीं मारा था। अभियुक्तगण को उक्त व्यक्तियों ने पकड़ा भी नहीं था।

साक्षीगण के उपर्युक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि घटना के बाद डायल 112 की पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी गयी थी तथा सूचना पाकर डायल 112 की पुलिस घटनास्थल पर आयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट व वादी मुकदमा नुरुल हसन के अनुसार एकलाख द्वारा पुलिस को फोन से सूचना दी गयी थी जबकि पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र के अनुसार पुलिस को नुरुल हसन ने फोन करके सूचना दी थी। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा न तो एकलाख को परीक्षित कराया गया है न ही पुलिस को सूचना दिये जाने के संबंध में डायल 112 की कॉल रिकॉर्ड, न कॉलर का विवरण अभिलेख पर लाया गया है और न ही पी.सी.आर. कर्मियों का बयान ही अंकित किया गया है जबकि यह अभियोजन कथानक का महत्वपूर्ण हिस्सा था। पुनः प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि घटनास्थल पर उपस्थित लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया तथा लाठी–डण्डा लेकर अभियुक्तगण को दौड़ाया गया जिससे अभियुक्तगण मौके से भाग गये। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ व पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह के अनुसार घटना के दौरान आस–पास के लोगों द्वारा तथा उनके द्वारा लाठी–डण्डा लेकर अभियुक्तगण को दौड़ाया गया व बीच बचाव किया गया जिससे अभियुक्तगण भाग गये जबकि पी.डब्लू. 1 वादी नुरुल हसन के अनुसार पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ। यदि वादी नुरुल हसन के बयान को सही मान लिया जाए कि पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ तो पी.डब्लू. 2 व पी.डब्लू. 9 का बयान गलत साबित हो जाता है कि आस–पास के लोगों के बीच–बचाव करने व लाठी–डण्डा से दौड़ाए जाने पर अभियुक्तगण भाग गये। इसी प्रकार यदि पी.डब्लू. 2 व पी.डब्लू. 9 के उपर्युक्त कथनों को सत्य मान लिया जाए और घटना के बाद घटनास्थल से सभी अभियुक्तगण भाग गये थे तो पुलिस के आने पर किन पक्षों के बीच मामला शांत कराया गया, इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण का बयान विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

इसी प्रकार पी.डब्लू. 1 नुरुल हसन ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वह भागते हुए मुजीब की दुकान से आगे जाकर ईंटों के टुकड़ों पर गिरा, पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने कथन किया है कि घायल भागा और आगे जाकर गिरा, पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि पूरी मारपीट दुकान के सामने ही हुई और पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता ने कथन किया है कि उसने नुरुल हसन को मुजीब के घर के सामने गिरा हुआ देखा। ऐसी स्थिति में यदि घटना का वास्तविक स्थान एवं क्रम ही स्पष्ट न हो तो घटनास्थल का नक्शा एवं अभियोजन का पुनर्निर्माण अविश्वसनीय हो जाता है। पुनः पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिमान मुदस्सीर, मुज़म्मिल, आमिर हमज़ा, दानिश रजा, हाशिम रजा, अहमद रजा अचानक मेरी दुकान के सामने आकर नुरुल हसन को डण्डा, पंच और लात मुक्का से मारने लगे। नुरुल हसन अपनी जान बचाकर मेरी दुकान से पूरब की तरफ भागने लगा। जब वह भागने लगा तो मुदस्सीर ने जान मारने की नियत कट्टे से उसके ऊपर फायर कर दिया। घटनास्थल के नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 में "ए" बिंदु से उस स्थान को दर्शित किया गया है जहां पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को सर्वप्रथम मारा–पीटा जाना बताया गया है जबकि "बी" बिंदु से उस स्थान को दर्शित किया गया है जहां से अभियुक्त मुदस्सिर द्वारा वादी को भागते समय जान से मारने

की नियत से कट्टे से फायर करना बताया गया है। "सी" बिंदु से उस स्थान को दर्शित किया गया है जहां वादी मुकदमा को अभियुक्तगण द्वारा पुनः मारा–पीटा गया। पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ के उपर्युक्त बयान के अनुसार नुरुल हसन अपनी जान बचाकर उसकी दुकान से पूरब की तरफ भागने लगा परंतु नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 में बिंदु "बी" बिंदु "ए" से पूरब न होकर दक्षिण दिशा में है। ऐसी स्थिति में घटनास्थल के संबंध में पी.डब्लू. 2 मुजीब अशरफ का बयान दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नहीं होता है।

पी.डब्लू. 9 योगेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि उसने पूरी घटना देखी, फायरिंग देखी, 5–7 मिनट तक मारपीट देखी, किन्तु बीच–बचाव नहीं किया। पी.डब्लू. 10 अरुण कुमार गुप्ता ने कथन किया है कि उसने भी घटना देखी, परन्तु वह न तो किसी अभियुक्त का हथियार बता सका, न किसी अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका के बारे में ही कोई कथन कर सका। ऐसे साक्षीगण का आचरण सामान्य मानवीय व्यवहार से मेल नहीं खाता, विशेषकर तब जबकि वे कहते हैं कि वे घायल को अच्छी तरह से जानते व पहचानते थे।

इसी प्रकार अभियोजन पक्ष के दो महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षीगण पी.डब्लू. 4 हारून रशीद व पी.डब्लू. 6 वाजिद अली द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया व अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। विशेषतः पी.डब्लू. 6 वाजिद अली को प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में बताया गया है। उपर्युक्त साक्षीगण का पक्षद्रोही हो जाना भी अभियोजन को गंभीर आघात पहुँचाता है। इसी प्रकार पी.डब्लू. 3 रफीउल्लाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया है जबकि अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि **"गांव वालों से मालूम हुआ कि नुरुल हसन घायल हो गया है। जब मैं मौके पर गया तो नुरुल हसन बेहोश पड़ा था।"** अर्थात स्पष्ट है कि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि पश्चातवर्ती साक्षी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान प्रकरण की घटना में एक ही परिवार के लगभग सभी वयस्क पुरुष सदस्यों, हाजी मुख्तार, नफीस, शाहिद, दानिश, हाशिम अहमद, आमिर, मुदस्सीर व मुज़म्मिल को अभियुक्त बना दिया गया है किन्तु अलग–अलग साक्षी द्वारा अलग–अलग व्यक्तियों की अलग–अलग भूमिका बतायी गयी हैं। किसी भी अभियुक्तगण की कोई विशिष्ट भूमिका को स्थिर नहीं बताया गया है। भारतीय परिवेश में व न्यायिक दृष्टिकोण में जब पूरे परिवार को सामूहिक रूप से फँसाने का आभास हो और व्यक्तिगत भूमिका स्पष्ट न हो, तब सभी अभियुक्तगण की दोषसिद्धि हेतु कोई ठोक साक्ष्य उपस्थित होना आवश्यक है परंतु वर्तमान प्रकरण में साक्षीगण का साक्ष्य पूर्ण रूप से तात्विक विरोधाभासों से भरा हुआ है जो न तो अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन करता है और न ही दस्तावेजी साक्ष्यों से मेल खाता है। अभियोजन साक्ष्य में विद्यमान विरोधाभास घटना के गौण अथवा परिधीय पहलुओं तक सीमित न होकर घटना की उत्पत्ति, अभियुक्तों की उपस्थिति, प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका, प्रयुक्त हथियार, फायरिंग, घटनास्थल, चोटों की प्रकृति तथा प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति जैसे मूलभूत तथ्यों से सम्बन्धित हैं। इन समस्त परिस्थितियों को समग्र रूप से देखने पर ऐसा स्पष्ट होता है कि यह केवल सामान्य विरोधाभासों का मामला नहीं है, बल्कि अभियोजन की मूल कहानी

जैसे– किसने हमला किया, किस हथियार से किया, कहाँ किया, कितनी फायरिंग हुई, कौन उपस्थित था और क्या चोटें आयीं, इन सभी आधारभूत तथ्यों पर गंभीर संदेह विद्यमान है। आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धान्त है कि जब अभियोजन का संस्करण स्वयं संदेहग्रस्त हो जाए और दो संभावनाएँ उत्पन्न हों, तो वह संभावना जो अभियुक्त के पक्ष में जाती है, उसे स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना एक मजबूत न्यायिक निष्कर्ष प्रतीत होता है।

इस निमित्त विधि निर्णय **मथुरा प्रसाद व अन्य बनाम स्टेट आफ एम.पी. ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 49** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हे कि यदि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने मे असफल रहता है तो अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में **असफल** रहा है किः–

(i) दिनांक 30.05.2020 को समय 17.00 बजे दिंन बहद स्थान ग्राम सरवा बिचलापुरा, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ में अभियुक्तगण किसी विवाद को लेकर लाठी डण्डा, धारदार हथियार एवं कट्टा से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा नुरुल हसन की हत्या करने के एक सामान्य उद्देश्य से साशय ज्ञानपूर्वक उसको जान से मारने की नियत से मारपीट कर उसके सिर व शरीर के अन्य भागों में चोटें पहुंचाई तथा कट्टा से फायर किया, यदि कट्टे से फायर एवं शरीर पर आयी चोटों से वादी मुकदमा नुरुल हसन की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते।

(ii) अभियुक्तगण द्वारा उपर्युक्त तिथि, समय व स्थान पर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में साशय ज्ञानपूर्वक वादी मुकदमा नुरुल हसन को लाठी–डण्डा व धारदार हथियार से प्रहार कर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

परिणामतः अभियुक्तगण हाजी मुख्तार, नफीस, मुज़म्मिल, शाहिद, दानिश रज़ा, हाशिम रज़ा, आमिर हमज़ा, अहमद रज़ा व मुदस्सीर धारा 307/149, 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **हाजी मुख्तार, नफीस, मुज़म्मिल, शाहिद, दानिश रज़ा, हाशिम रज़ा, आमिर हमज़ा, अहमद रज़ा व मुदस्सीर** को **धारा 307 सपठित धारा 149 व धारा 323 सपठित धारा 149** भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत **दोषमुक्त** किया जाता है।

दोषमुक्त अभियुक्तगण जमानत पर है। उसके निजी बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा उसके प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

प्रत्येक दोषमुक्त अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं.प्र.सं के प्रावधानों के अनुपालन में मु० 50,000/–**(पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के **दो–दो प्रतिभू** अंदर एक सप्ताह इस आशय का प्रस्तुत की जाए कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उन्हें आहूत किया जाता है तो वे वहां उपस्थित होंगे। यह बन्धपत्र इस निर्णय की तिथि से छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

माल मुकदमाती, यदि कोई हो, अपील न किये जाने की दशा में, अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार निस्तारित किया जाये और यदि अपील की जाती है, तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार माल मुकदमाती का निस्तारण किया जाये।

इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, मऊ को प्रेषित की जाए।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र वाद सं. 341/2021 उ०प्र० राज्य बनाम मुदस्सीर की पत्रावली में रखी जाए।

[बाकर शमीम रिज़वी]
अपर स़त्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. ,1 मऊ।

दिनांक– 18.06.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

[बाकर शमीम रिज़वी]
अपर स़त्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. ,1 मऊ।

दिनांक– 18.06.2026